

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा - 2017

संस्थागत/व्यक्तिगत छात्रों के आवेदन-पत्रों तथा अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों को पूरित करने के सम्बन्ध में
प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या एवं अग्रसारण केन्द्र के अग्रसारण अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश।

टिप्पणी :- कृपया आवेदन-पत्र तथा अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों की पूर्ति कराने से पूर्व इस निर्देश पत्र को अत्यन्त सावधानी के साथ पढ़िए, क्योंकि इसमें आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष कुछ न कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। परीक्षा / प्राप्तांक शुल्क जमा करने की विधि, संख्या सूचक-चक्र बनाने की विधि इत्यादि का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। विद्यालय श्रेणी कोड को बड़ी सतर्कता के साथ ध्यान देकर भरा जाय। इस निर्देश-पत्र को परीक्षा-काल में तथा परीक्षा के पश्चात् भी सन्दर्भ के लिए रखना परम उपयोगी है। प्रधानाचार्य एवं परीक्षा प्रभारी परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र, नामांकनी, संख्या सूचक-चक्र, स्मारिका आदि समर्त प्रपत्रों की स्वयं जाँच कर लें। त्रुटि पाये जाने पर प्रधानाचार्य तथा परीक्षा प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेग।

टेलीफोन : 05947-254275

E mail - secy-ubse-uk@nic.in

फैक्स : 05947-255021

Website - www.ubse.uk.gov.in

निर्देश-पत्र

प्रेषक,

संघिव,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

- 1 समर्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2 समर्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3 प्रदेश के समर्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्या।

महोदय / महोदया,

2017 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा में संस्थागत रूप से समिलित होने वाले आपकी संस्था के छात्र / छात्राओं हेतु' O.M.R. युक्त आवेदन-पत्र तथा तत्सम्बन्धी विवरण अंकित करने के प्रपत्र आपको भेजे जा रहे हैं। सभी O.M.R. एवं I.C.R. आवेदन-पत्र, संख्या सूचक-चक्र तथा स्मारिका पूरित कराके एक साथ एक ही बण्डल में निम्नांकित नियमों एवं कार्यक्रमों के अनुसार अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करें। बण्डल पर हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन-पत्र लिखना अनिवार्य है। हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के आवेदन-पत्र अलग-अलग बण्डल बनाकर भेजें। कृपया सभी प्रपत्रों को सावधानीपूर्वक देखकर कार्यवाही करें।

संस्थागत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों को स्वीकार किए जाते समय मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी धारण क्षमता को अवश्य देख लिया जाय और मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया जाय कि स्वीकार किए गये संस्थागत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों की संख्या विद्यालय की धारण क्षमता अथवा नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से अधिक नहीं है तथा सम्बन्धित विद्यालयों के हाईस्कूल और इण्टर के संस्थागत परीक्षार्थियों की संख्या विगत वर्ष कक्षा 9 या कक्षा 11, जैसी भी स्थिति हो, में अध्ययनरत छात्र संख्या के तुलनीय है। विद्यालय के स्मारिका के पृष्ठ-7 पर विवरण जाँच कर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर अवश्य किया जाय।

महत्वपूर्ण आवश्यक निर्देश

- 1 परीक्षार्थी के O.M.R. एवं I.C.R. आवेदन-पत्र पर लगा हुआ फोटो पासपोर्ट साइज का स्पष्ट रूप से खिचा हुआ, निर्धारित स्थान पर अच्छी तरह से चिपकाया जाय। आवेदन-पत्र में लगी हुई प्रत्येक फोटो का आकार-प्रकार एक सा होना अनिवार्य है। केवल ICR में लगी फोटो अग्रसारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित करनी है।
- 2 उत्तराखण्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 9 तथा कक्षा 11 उत्तीर्ण संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी अथवा उत्तराखण्ड के अंतिरिक्त अन्य राज्यों के समकक्ष मान्य शिक्षा बोर्ड / शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही परिषद् की हाईस्कूल तथा इण्टर की परीक्षा में समिलित होने हेतु अर्ह होगा। संस्थागत/व्यक्तिगत कोई भी परीक्षार्थी कक्षा 10 या कक्षा 12 की परीक्षा में उन्हीं विषयों से समिलित होगा जिन विषयों से उसके द्वारा कक्षा 9 या कक्षा 11 की उत्तीर्ण की गई हो अथवा जिन विषयों से वह पूर्व वर्षों में कक्षा 10 या कक्षा 12 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा हो। हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षार्थी विनियमों के अन्तर्गत अन्य विषय / विषयों / विषय वर्ग से परीक्षा में तभी समिलित हो सकेंगे जबकि उनके द्वारा उस विषय / विषयों / विषय वर्ग में कक्षा 9 या कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो अथवा पूर्व वर्षों में वह विनियमों के अन्तर्गत उन विषयों में अनुत्तीर्ण रहा हो।

3. हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट संस्थागत परीक्षार्थियों के कक्षा 9 / कक्षा 11 उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 / कक्षा 12 अनुत्तीर्ण के अंकपत्रों की छायाप्रति आवेदन-पत्र अग्रसारित करने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय। परिषद् की व्यक्तिगत परीक्षा में समिलित होने वाले कक्षा 9 / कक्षा 11 उत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी / मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अंकपत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करेंगे जबकि कक्षा 10 / कक्षा 12 अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अंकपत्र की अग्रसारण अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी० सी०) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होकर मूल रूप में संलग्न होने चाहिए। अन्य राज्यों के समकक्ष बोर्डों के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 9 / कक्षा 11 उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 / कक्षा 12 अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को उस राज्य के सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा मण्डलीय शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अंकपत्र व स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. वर्ष 2017 की हाईस्कूल / इण्टर की परिषदीय परीक्षा (संस्थागत / व्यक्तिगत) के लिए केवल वही परीक्षार्थी अहं होंगे जिनका पंजीकरण हो चुका हो। वर्ष 2016 में कक्षा 9, 10, 11 तथा 12 के संस्थागत / व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कर पंजीकरण फार्म सम्बन्धित विद्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2016 होगी। तदोपरान्त किसी भी परीक्षार्थी का पंजीकरण सम्भव नहीं होगा।
5. इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा के लिये परीक्षार्थी को हाईस्कूल उत्तीर्ण अंक-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. संस्थागत एवं व्यक्तिगत आवेदन-पत्रों के सभी संलग्नक अग्रसारण अधिकारी से ही सत्यापित होना आवश्यक है। अन्य से सत्यापित प्रति नान्य नहीं होगी।
7. संस्थागत व व्यक्तिगत आवेदन-पत्र के साथ पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति अग्रसारण अधिकारी से सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य है।
8. संस्थागत/व्यक्तिगत परिषदीय परीक्षाओं का शुल्क तथा तिथिवार कार्यक्रम का विवरण :-

क्र० सं०	विवरण	हाईस्कूल परीक्षा		इण्टरमीडिएट परीक्षा	
		संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत
1	परीक्षा शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	₹ 200.00	₹ 600.00	₹ 350.00	₹ 700.00
2	अंकपत्र शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	₹ 10.00	₹ 10.00	₹ 10.00	₹ 10.00
3	अग्रसारण शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	-	₹ 10.00	-	₹ 10.00
4	केवल एक विषय का शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	-	₹ 150.00	-	₹ 150.00
5	प्रमाण-पत्र प्रवर्जन शुल्क	-	-	₹ 50.00	₹ 50.00
6	विलम्ब शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	-	₹ 150.00	-	₹ 150.00
7	निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई, 2016	14 अगस्त, 2016	31 जुलाई, 2016	14 अगस्त, 2016
8	विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि	-	24 अगस्त, 2016	-	24 अगस्त, 2016
9	खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन-पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	14 अगस्त, 2016	28 अगस्त, 2016	14 अगस्त, 2016	28 अगस्त, 2016
10	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन-पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	20 अगस्त, 2016	30 अगस्त, 2016	20 अगस्त, 2016	30 अगस्त, 2016
11	मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा परिषद् कार्यालय में आवेदन-पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	04 सितम्बर, 2016	04 ... - .. 2016	04 सितम्बर, 2016	04 सितम्बर, 2016

नोट-(1) यदि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि को अवकाश अथवा बँक अवकाश हो जिससे शुल्क जमा नहीं हो पा रहा है तो केवल अगले कार्य दिवस को शुल्क जमा कर आवेदन-पत्र अग्रसारित किये जा सकेंगे।

(2) कतिपय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्य द्वारा संस्थागत / व्यक्तिगत आवेदन-पत्रों को निर्धारित तिथि के पश्चात् सीधे वाहक अथवा डाक द्वारा परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है, ऐसे आवेदन-पत्रों को कदापि स्थीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों को प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा, ऐसी स्थिति में यदि परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रहता है अथवा माननीय न्यायालयी प्रकरण बनने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अग्रसारण अधिकारी का होगा।

(1) अंकपत्र शुल्क 10.00 (दस रुपये) प्रति परीक्षार्थी है। अंकपत्र शुल्क में से ₹ 05=00 प्रति परीक्षार्थी प्रधानाचार्य अपने स्तर पर रोक लेंगे जिसका प्रयोग नामावली तथा संख्या सूचक—चक्र बनाने एवं प्राप्तांक प्रदान कराने की प्रक्रिया में डाक—व्यय तथा लेखन—सामग्री आदि की मदों में व्यय हेतु किया जायेगा। शेष ₹ 05=00 प्रति परीक्षार्थी की दर से धनराशि राजकीय कोषागार में जमा करेंगे।

(2) संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए विलम्ब शुल्क प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को ₹ 30.00 (तीन रुपये) प्रति छात्र/छात्रा प्रतिदिन की दर से जमा करना होगा। उसका उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा पर नहीं है। यह शुल्क प्रधानाचार्य द्वारा उस दशा में दिया जायेगा, जब प्रधानाचार्य द्वारा अपने विद्यालय के संस्थागत आवेदन—पत्र I.C.R. व O.M.R. को निर्धारित तिथि 14 अगस्त तक या तालिका में दिये गये विवरणानुसार निर्धारित तिथि (जो अंकित है), तक जमा न किया गया हो, तब लिया जायेगा। इस सन्दर्भ में विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अध्याय बारह के बिन्दु संख्या—4 (एक) व (दो) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) बोर्ड परीक्षा का शुल्क, कोष—पत्र (ट्रेजरी चालान) द्वारा राजकीय कोषागार में निम्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा :—

0202 — शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति
01 — सामान्य शिक्षा
102 — माध्यमिक शिक्षा
02 — बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क

उपर्युक्त लेखा शीर्षक अत्यन्त सावधानी से भरें।

(4) इण्टरमीडिएट हेतु प्रवर्जन प्रमाण—पत्र का शुल्क ₹ 50.00 लिया जायेगा।

कोष—पत्र की मूल प्रति स्मारिका के साथ नहीं कर परिषद् कार्यालय में भेजी जायेगी। हाईस्कूल तथा इण्टर की परीक्षाओं का अलग—अलग कोष—पत्र होगा। जिन परीक्षार्थियों की 2016 की परीक्षा का परीक्षा शुल्क वर्ष 2017 की परीक्षा के लिए सुरक्षित कर दिया गया है, उनका मूल पत्र स्मारिका के साथ लगाना अनिवार्य है। कोई भी परीक्षार्थी बिना शुल्क के परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कोष—पत्र में लेखा शीर्षक संतर्कापूर्वक सही अंकित करें। राजकोष शुल्क उप शीर्षक 02 में लगा हुआ ही मान्य होगा। अन्य उप शीर्षक में जमा किया गया शुल्क मान्य नहीं होगा।

(5) परिषद की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण—पत्र परिषद् कार्यालय से विद्यालय को भेजे जायेंगे। जो परीक्षार्थी डाक से अपना प्रमाण—पत्र चाहते हैं, वे प्रधानाचार्य को रजिस्टर्ड डाक टिकट लगा अपने पते का लिफाफा भेजकर प्रमाण—पत्र प्राप्त करेंगे। अन्य छात्र स्कूल में उपस्थित होकर प्राप्त करें। इसके लिए शुल्क नहीं लिया जायेगा।

नोट:- जितने छात्र/छात्राओं के आवेदन—पत्र अग्रसारित किये जायें, उतने का ही परीक्षा शुल्क/अंकपत्र/प्रवर्जन प्रमाण—पत्र शुल्क कोषागार में जमा किया जाय। यदि कोई छात्र बीमार है और उसका आवेदन—पत्र पूरित कर अग्रसारित नहीं किया जा रहा है परन्तु उसका शुल्क कोषागार में जमा कर दिया गया है तो उस छात्र का नाम, माता पता का नाम एवं उसके द्वारा उपहृत विषय रसायनिका में निर्धारित स्थान पर अंकित किये जायें। छात्र संख्या से अधिक शुल्क जमा करने या अगस्त माह में शुल्क जमा होने पर मान्य नहीं होगा तथा अधिक शुल्क जमा करने का औचित्य कारण सहित स्पष्ट करना होगा।

(6) यदि किसी परिषदीय परीक्षा हेतु परीक्षार्थी का नाम बीच में किन्हीं कारणों से कट जाता है तो उसकी सूचना पंजीकृत पत्र के माध्यम से तुरन्त परिषद् को देना अनिवार्य होगा। यदि इस सन्दर्भ में विद्यालय द्वारा समय पर सूचना नहीं दी जाती है और परिषद् द्वारा अवगत कराया जाता है तो सम्बन्धित विद्यालय के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(7) कठिपय विद्यालयों द्वारा अंक—पत्र एवं प्रमाण—पत्रों व अन्य संलग्नकों की ऐसी छाया प्रतियां संलग्न की जाती हैं जो न तो पढ़ने में आती हैं न ही साफ होती हैं। अतः पढ़ने में साफ तथा स्पष्ट संलग्नक हो। अस्पष्ट, अपटनीय एवं ऊपरी लेख वाली प्रति संलग्न हो तो उसके लिए अग्रसारण अधिकारी उत्तरदायी होगा। जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

(8) प्रत्येक विद्यालय को वर्ष 2015-16 के कक्षा 9 व 11 के संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाफल (टेबूलेशन सीट) की छायाप्रति अलग—अलग हाईस्कूल/इण्टर I.C.R. लिफाफे में भेजना अनिवार्य होगा।

महत्वपूर्ण आवश्यक निर्देश

हाईस्कूल परीक्षा

(A) **आवेदन—पत्र :-** वर्ष 2017 की हाईस्कूल परीक्षा में केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के आवेदन—पत्र अग्रसारित किये जायें जिन्होंने अपना पंजीकरण करवा लिया है। पूर्व पंजीकरण में उपहृत/चयनित विषयों के परिवर्तन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी। परीक्षार्थी द्वारा पूर्व पंजीकरण आवेदन—पत्र में की गई प्रविष्टियों तथा आवेदन—पत्र में की जा रही प्रविष्टियों में समानता होना आवश्यक है। असमानता की स्थिति में पूर्व पंजीकरण—पत्र में अंकित की गयी सूचनाएं मान्य होंगी।

1. छात्र/छात्रा की पात्रता की जांच परिषद के नियमों के अनुसार अवश्य कर ली जाय। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा अपना आवेदन—पत्र जालसाजी/मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर समिलित कर दिया गया है, तो ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा और यदि वह परीक्षा में समिलित हो गया हो तो उसका परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे परीक्षार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। इस अनियमितता हेतु प्रधानाचार्य/अग्रसारण अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।

2. कोई भी परीक्षार्थी किसी भी दशा में दो पंजीकरण/अग्रसारण केन्द्रों से अपना संस्थागत/व्यक्तिगत आवेदन—पत्र अग्रसारित नहीं करायेगा, वह किसी भी दशा में केवल एक ही आवेदन—पत्र अग्रसारित करायेगा। दो आवेदन—पत्र प्राप्त होने की दशा में दोनों ही आवेदन—पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य भली—भांति जांच कर लें। इस हेतु संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थी से एक ही आवेदन—पत्र भरने का प्रमाण—पत्र लेकर आवेदन—पत्र के साथ संलग्न करें।

3. परीक्षार्थियों के कक्षा 9 एवं 11 उत्तीर्ण अंकपत्र की छायाप्रति अथवा हाईस्कूल, इंटर अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परीक्षा अंकपत्र की छायाप्रति जो कि अग्रसारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, आवेदन—पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।

हाईस्कूल परिषदीय परीक्षा वर्ष-2017

(A) परम्परागत (I.C.R.) आवेदन—पत्र पूरित करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देशः—

प्रत्येक संस्थागत परीक्षार्थी को ३००८००८००८० (O.M.R.) आवेदन—पत्र के साथ दो परम्परागत (I.C.R.) आवेदन—पत्र भी भरने हैं। आवेदन—पत्र को नीली अथवा काली बॉल प्वाइंट पैन से स्वच्छतापूर्वक भरा जाना है। आवेदन—पत्र में 07 अंकीय ३००८००८००८० संख्या निर्धारित चौकोर खानों में तथा शुल्क से सम्बन्धित विवरण निर्धारित स्थान पर भरा जाना है। विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर आवेदन—पत्र संख्या निर्धारित 04 खानों में 0001 से प्रारम्भ कर पूरित की जानी है। आवेदन—पत्र के शेष भाग को पूरित करने हेतु निम्न निर्देशों का बिन्दुवार पालन करें।

- (क) क्रमांक-1 (जनपद कोड)—जनपद कोड 03 अंकों में भरा जाना है। जनपद कोड निम्नानुसार निर्धारित है:—
हरिद्वार-101, देहरादून-102 उत्तरकाशी-103, टिहरी-104, पौड़ी-105, चमोली-106,
रुद्रप्रयाग-107, पिथौरागढ़-108, चम्पावत-109, अल्मोड़ा-110, बागेश्वर-111, नैनीताल-112
ऊधमसिंह नगर-113
- (ख) क्रमांक-2 (स्कूल कोड)—स्कूल कोड 03 अंकों में भरा जाना है। स्कूल कोड जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित/आविटि होना चाहिए।
- (ग) क्रमांक-3 (विद्यालय श्रेणी कोड)—राजकीय संस्था हेतु A, राजकीय सहायता प्राप्त संस्था हेतु B, हाईस्कूल सहायता प्राप्त एवं इंटर तक मान्यता वाले विद्यालय हेतु C, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्था हेतु D के कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।
- (घ) क्रमांक-4 (विद्यालय की भौगोलिक स्थिति)—निर्धारित क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) के कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।
- (ङ) क्रमांक-5 (विकास खण्ड)—निर्धारित स्थान में विकास खण्ड का ००८० एवं 02 अंकीय कोड की अंकना करें।
- (च) क्रमांक-6 (संस्थागत/व्यक्तिगत)—संस्थागत/व्यक्तिगत अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।
- (छ) क्रमांक-7 (परीक्षार्थी का नाम)—परीक्षार्थी का नाम हिन्दी में लिखा जाना है।
- (ज) क्रमांक-8 (माता का नाम)—परीक्षार्थी की माता का नाम हिन्दी में लिखा जाना है।
- (झ) क्रमांक-9 (पिता का नाम)—परीक्षार्थी के पिता का नाम हिन्दी में लिखा जाना है।

- (अ) क्रमांक-10 (विद्यालय का नाम)—विद्यालय/संस्था का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अंकित किया जाना है।
- (ट) क्रमांक-11—चौकोर खानों में परीक्षार्थी का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व कुमारी/श्री/श्रीमती आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।
- (ठ) क्रमांक-12—चौकोर खानों में परीक्षार्थी की माता का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व श्रीमती/डॉ आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।
- (ड) क्रमांक-13 चौकोर खानों में परीक्षार्थी के पिता का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व श्री/डॉ आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।
- (ग) क्रमांक-14 (पंजीकरण संख्या)—परीक्षार्थी की पंजीकरण संख्या (निर्धारित चौदह अंकीय) की अंकना की जानी है।
- (घ) क्रमांक-15 (दूरभाष संख्या)—परीक्षार्थी अथवा अभिभावक की दूरभाष संख्या लिखें।
- (त) क्रमांक-16 (लिंग)—निर्धारित लिंग विवरण (पुरुष/कुमारी/श्रीमती) के कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।
- (थ) क्रमांक-17 (जाति)—परीक्षार्थी की जाति कोड पर टिक (✓) करें।
- (द) क्रमांक-18 (जन्म लिंग)—परीक्षार्थी की जन्म लिंग निर्धारित खानों में अंकित की जाय।
- (इ) क्रमांक-19 (परीक्षा नाम्बर)—परीक्षार्थी जिस नाम्बर से परीक्षा देना चाहता है, उस माध्यम को टिक (✓) करें।
- (ट) क्रमांक-20 (शारीरिक असमता)—परीक्षार्थी विकलांग होने की स्थिति में यथास्थिति दृष्टिगत/बघिर/डिस्लेक्सिक/स्पास्टिक/अन्य विकलांगतापर टिक (✓) करें।
- (प) क्रमांक-21 (उपहृत विषय)—परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषयों के कोड तथा नाम अंकित करें।
- (फ) क्रमांक-22 (पूर्व हाईस्कूल परीक्षा विवरण)—संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व परीक्षा का विवरण भरें, जिस आधार पर हाईस्कूल परीक्षा में समिलित होने के लिए अर्ह है। व्यक्तिगत विनियम परीक्षार्थी कक्षा 10 उत्तीर्ण विषय भरें।
- (ब) क्रमांक-23 (पूर्व परीक्षा विवरण)—संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व परीक्षा में उपहृत विषय (कक्षा 9 में चयनित विषय) भरें। व्यक्तिगत विनियम परीक्षार्थी विनियम के अन्तर्गत चयनित विषय तथा विषय कोड भरें।
- (भ) क्रमांक-24—संस्थागत परीक्षार्थी जिस अल्पसंख्यक समुदाय के हों उस पर टिक करें। व्यक्तिगत परीक्षार्थी पूर्व परीक्षा का विवरण भरें जिस आधार पर हाईस्कूल परीक्षा में समिलित होने के लिए अर्ह हैं। (अंकपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
- (म) क्रमांक-25—व्यक्तिगत परीक्षार्थी पूर्व परीक्षा में उपहृत विषय (कक्षा 9 में चयनित विषय) भरें।
- (य) क्रमांक-26 (अल्पसंख्यक कोड)—व्यक्तिगत परीक्षार्थी जिस अल्पसंख्यक समुदाय के हों उस पर टिक (✓) करें।

परम्परागत (I.C.R.) आवेदन—पत्र के मुख पृष्ठ के अन्त में परीक्षार्थी, कक्षाध्यापक एवं प्रधानाचार्य अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा पृष्ठ भाग में परीक्षार्थी का पता हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य हैं इसके साथ—साथ परीक्षा प्रभारी एवं प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षार्थी के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र भी पूरित किया जाना है।

नोट:—उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त आईसीआर० आवेदन—पत्र के अवशेष स्तम्भों में माँगा गया विवरण अंकित करें।

हाईस्कूल परिषदीय परीक्षा वर्ष-2017

ओ०एम०आर० (O.M.R.) आवेदन-पत्र पूरित करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश-

O.M.R. ओवदन-पत्र को पूरित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है :-

1. O.M.R. शीट के चौकोर खानों में अंकनाएँ काले अथवा नीले बाल प्वाइंट पेन से की जानी है।
 2. O.M.R. शीट के गोलों को HB पेन्सिल से पूर्णरूप से भरा जाना है।
 3. O.M.R. शीट में सभी प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से अंग्रेजी के CAPITAL LETTERS में ही पूरित की जानी हैं।
क्रमांक 3 से आगे एक चौकोर खाने में एक ही अंक/अक्षर/शब्द लिखा जायेगा तथा उस खाने के ठीक नीचे दिये गये उसी अंक/अक्षर/शब्द वाले गोले को भरा जायेगा।
 4. यदि किसी गोले को गलत भर दिया गया हो तो उसे रबर से सावधानीपूर्वक मिटाने के बाद सही गोला भरें। ब्लेड, व्हाइटनर आदि का प्रयोग कदमपि न किया जाये। खुरचने अथवा रगड़ने पर O.M.R. शीट खराब हो सकती है।
 5. O.M.R. शीट में प्रविष्टियां स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से भरी जानी हैं।
 6. O.M.R. शीट में भरे गये गोलों के आधार पर ही छात्र-छात्रा से सम्बन्धित अन्तिम विवरण तैयार किया जायेगा।
अतः O.M.R. शीट में सावधानीपूर्वक प्रविष्टियों की अंकना की जाय।
 7. O.M.R. शीट को मोड़ना, स्टैपल करना एवं उस पर लिखना पूर्णतया वर्जित है।
 8. O.M.R. शीट में गोले पूर्णरूप से भरा जाना अनिवार्य है, जैसे—



नोट—इसी प्रकार इण्टर O.M.R. शीट को हाईस्कल की भाँति कॉलमानसार भरा जाय।

नोट-प्रत्येक संस्था द्वारा निम्न प्रारूप पर ओ०एम०आर० आवेदन-पत्रों से सम्बन्धित विवरण तीन-तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। प्रथम प्रति ओ०एम०आर० आवेदन-पत्रों के बण्डल के साथ, द्वितीय प्रति परम्परागत I.C.R. आवेदन-पत्रों के बण्डल के साथ परिषद कार्यालय, रामनगर को उपलब्ध करायी जानी है, जबकि तृतीय प्रति विद्यालय स्तर पर सरक्षित रखी जायेगी।

प्रारूप-01

विद्यालय का नाम-

विद्यालय का कोड-

जनपद-

विकास रघुण्ड—

क्रम संख्या	बालक / बालिका	ओ०ए०आ० शीट का विवरण		कुल ओ०ए०आ० शीट	अन्य विवरण
		क्रमांक से	क्रमांक तक		
1.	बालक				
2.	बालिका				
कुल प्रयुक्त ओ०ए०आ० शीट					

प्राप्त ओ०ए०आ० शीट—

प्रयुक्त ओ०ए०म०आ० शीट-

अवशेष ओ०ए०म०आर० शीट-

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य,
नाम व मुहर सहित ।

इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा वर्ष-2017

(A) परम्परागत (I.C.R.) आवेदन-पत्र पूरित करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश:-

प्रत्येक संस्थागत परीक्षार्थी को ओ०ए०आ० (O.M.R.) आवेदन-पत्र के साथ दो परम्परागत (I.C.R.) आवेदन-पत्र भी भरने हैं। आवेदन-पत्र को नीली अंथवा काली बॉल प्वाइंट पैन से स्वच्छापूर्वक भरा जाना है। आवेदन-पत्र में 07 अंकीय ओ०ए०आ० संख्या निर्धारित चौकोर खानों में तथा शुल्क से सम्बन्धित विवरण निर्धारित स्थान पर भरा जाना है। विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर आवेदन-पत्र संख्या निर्धारित 04 खानों में 0001 से प्रारम्भ कर पूरित की जानी है। आवेदन-पत्र के शेष भाग को पूरित करने हेतु निम्न निर्देशों का बिन्दुवार पालन करें:-

- (क) क्रमांक-1 (जनपद कोड)-जनपद कोड 03 अंकों में भरा जाना है। जनपद कोड निम्नानुसार निर्धारित है:-
 हरिद्वार-101, देहरादून-102 उत्तरकाशी-103, टिहरी-104, पौड़ी-105, चमोली-106,
 रुद्रप्रयाग-107, पिथौरागढ़-108, चम्पावत-109, अल्मोड़ा-110, बागेश्वर-111, नैनीताल-112
 ऊधमसिंह नगर-113
- (ख) क्रमांक-2 (स्कूल कोड)-स्कूल कोड 03 अंकों में भरा जाना है। स्कूल कोड जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित / आवंटित होना चाहिए।
- (ग) क्रमांक-3 (विद्यालय श्रेणी कोड)-राजकीय संस्था हेतु A, राजकीय सहायता प्राप्त संस्था हेतु B, हाईस्कूल सहायता प्राप्त एवं इण्टर तक मान्यता वाले विद्यालय हेतु C, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्था हेतु D के कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।
- (घ) क्रमांक-4 (विद्यालय की भौगोलिक स्थिति)-निर्धारित क्षेत्र (शहरी / ग्रामीण) के कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।
- (ङ) क्रमांक-5 (विकास खण्ड)-निर्धारित स्थान में विकास खण्ड का नाम एवं 02 अंकीय कोड की अंकना करें।
- (च) क्रमांक-6 (संस्थागत / व्यक्तिगत)-संस्थागत / व्यक्तिगत अन्यर्थी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।
- (छ) क्रमांक-7 (परीक्षार्थी का नाम)-परीक्षार्थी का नाम हिन्दी में लिखा जाना है।
- (ज) क्रमांक-8 (पिता का नाम)-परीक्षार्थी के पिता का नाम हिन्दी में लिखा जाना है।
- (झ) क्रमांक-9 (विद्यालय का नाम)-विद्यालय / संस्था का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अंकित किया जाना है।
- (ञ) क्रमांक-10 चौकोर खानों में परीक्षार्थी का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व कुमारी / श्री / श्रीमती आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।
- (ट) क्रमांक-11 चौकोर खानों में परीक्षार्थी की माता का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व श्रीमती / डॉ आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।
- (ठ) क्रमांक-12 चौकोर खानों में परीक्षार्थी के पिता का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व श्री / डॉ आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।
- (ड) क्रमांक-13 (सम्पूर्ण पता)-परीक्षार्थी का पूरा पता (ग्राम, मोहल्ला, ब्लॉक, जनपद, पोस्ट, पिन कोड) सहित लिखा जाना है।
- (ढ) क्रमांक-14 (पंजीकरण संख्या)-परीक्षार्थी की पंजीकरण संख्या (निर्धारित चौदह अंकीय) की अंकना की जानी है।
- (ण) क्रमांक-15 (दूरभाष संख्या)-परीक्षार्थी अथवा अभिभावक की दूरभाष संख्या लिखें।
- (त) क्रमांक-16 (लिंग)-निर्धारित लिंग विवरण (पुरुष / कुमारी / श्रीमती) के कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।
- (थ) क्रमांक-17 (जाति)-परीक्षार्थी की जाति कोड पर टिक (✓) करें।
- (द) क्रमांक-18 (शारीरिक अक्षमता)-परीक्षार्थी विकलांग होने की स्थिति में यथास्थिति दृष्टिगत / बधिर / डिस्लेक्सिक / स्पास्टिक / अन्य विकलांगतापर टिक (✓) करें।
- (ध) क्रमांक-19 ((उपहृत विषय)-परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषयों के कोड तथा नाम अंकित करें।
- (न) क्रमांक-20 (अल्पसंख्यक कोड)-व्यक्तिगत परीक्षार्थी जिस अल्पसंख्यक समुदाय के हों उस पर टिक (✓) करें।

- (प) क्रमांक-21 (परीक्षा माध्यम)-परीक्षार्थी जिस माध्यम से परीक्षा देना चाहता है, उस माध्यम को टिक (✓) करें।
- (फ) क्रमांक-22 पूर्व परीक्षा विवरण)-परीक्षार्थी पूर्व परीक्षा का विवरण भरें, जिस आधार पर इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह है। (सत्यापित अंकपत्र संलग्न करें)
- (ग) क्रमांक-23 (परीक्षार्थी विवरण)-परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ग्राम / मोहल्ला इत्यादि विवरण भरें।
- (ज) क्रमांक-24 (व्यक्तिगत विनियम परीक्षार्थी हेतु)-व्यक्तिगत विनियम परीक्षार्थी कक्षा 12 उत्तीर्ण विषयों की अंकना करें।
उपरोक्त विन्दुओं के अतिरिक्त आई0सी0आर0 आवेदन-पत्र के अवशेष स्तम्भों में माँगा गया विवरण अंकित करें।

अवरोध, स्थानान्तरण तथा स्वीकर्षण

- (1) किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन-पत्र, जिसको वर्ष 2017 की हाईरकूल/इंटर परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया गया हो, किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाय। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सतर्कता बरतनी चाहिए।
- (2) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र परिषद् में पहुँच जाने के बाद किसी भी परीक्षार्थी का विद्यालय/परीक्षा केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थिति में परीक्षार्थी के पिता/अभिभावक के रथानान्तरण होने की स्थिति में विद्यालय परिवर्तन का प्रार्थना-पत्र सभी पृष्ठ प्रमाणों सहित मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के साथ परिषद् कार्यालय में 30 सितम्बर तक पहुँचना अनिवार्य है। परिषद् से स्वीकर्षण मिलने के बाद ही परीक्षार्थी का दूसरे विद्यालय में प्रवेश सम्भव होगा। 30 सितम्बर के बाद की तिथियों में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- (3) परिषद् द्वारा भान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बोर्ड की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने से उन परीक्षार्थियों को रोकने का अधिकार नहीं है जो परीक्षा के लिए निर्धारित नियमों का पूर्णतया प्रतिपालन करते हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिन छात्रों का कार्य अत्यन्त असन्तोषजनक हो तो विनियम 5(10), अध्याय-12 के अन्तर्गत कुल छात्रों के योग का 10 प्रतिशत तक ही छात्र प्रधानाचार्य द्वारा रोके जा सकते हैं। (10 प्रतिशत से तात्पर्य है कि यदि 99 छात्र विद्यालय में हैं तो उनमें से केवल 09 छात्र ही उक्त विनियमों के अन्तर्गत रोके जा सकते हैं, 10 छात्र कदापि नहीं रोके जा सकते)। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों यों भयसमय प्रेषित करनी चाहिए। सम्बन्धित छात्र अथवा उनके अभिभावक को रोकने की आज्ञा के दिन से एक सप्ताह के भीतर ही इस सम्बन्ध में सूचना कर देनी चाहिए। इस विनियम के अन्तर्गत रोकने की सूचना इस कार्यालय को भेजने के पश्चात् आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
- (4) प्रधानाचार्य को अधिकार होगा कि वे विनियम 5(11), अध्याय-12 के अन्तर्गत उन छात्रों को भी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक सकते हैं, जिन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग, एन0सी0सी0 आदि के लिए विद्यालय से प्राप्त वस्तुएं व वर्दी को मूल रूप से वापस अथवा उसके देय का भुगतान 15 फरवरी, 2017 तक न किया हो। ऐसे छात्रों को विनियम के अन्तर्गत अवरुद्ध करते हुए सूचना परिषद् कार्यालय को भेज दें। सूचना भेजने के पश्चात् यदि कोई छात्र वाचित सामग्री अथवा उसके देय का भुगतान करते हैं तो तत्काल इस कार्यालय को पुनः सूचित करें। इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त होने पर ही छात्र को परीक्षा में सम्मिलित करायें।
- (5) उपस्थिति की कमी वाले छात्रों, जिन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं करना है, के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि तक उनके प्रवेश-पत्र सहित इस कार्यालय को अवश्य प्रेषित कर दें। आप द्वारा विवरण प्राप्त होने पर आपको विस्तृत निर्देश अलग से भेजे जायेंगे, जिनका बड़ी सतर्कता से पालन करें।
- (6) उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त यदि कोई परीक्षार्थी किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है तो उसका विवरण भी इस कार्यालय को प्रेषित करें। यह स्पष्ट अंकित किया जाय कि वह अभ्यर्थी परीक्षा में किन कारणों से सम्मिलित नहीं हो रहा है। जिन परीक्षार्थियों के केन्द्र परिवर्तन कर दिये गये हैं, उनका विवरण इस प्रपत्र पर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्रुतलेखक की नियुक्ति के सम्बन्ध में

श्रुतलेखक की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक निर्धारित फार्म होता है। इसे केन्द्र व्यवस्थापक अथवा मुख्य शिक्षा अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इस फार्म पर श्रुतलेखक की नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नियम छपे रहते हैं। स्थायी अपेंग या दृष्टिबाधित छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ ही श्रुतलेखक हेतु प्रपत्र भरकर अग्रसारित करना चाहिए।

प्रधानाचार्य यदि किसी छात्र के स्थान पर श्रुतलेखक की नियुक्ति कराना वांछनीय समझते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह परीक्षा आवेदन-पत्र में दिये गये नियमों को भली-भाँति पढ़ें तथा छात्र की आवश्यकता से पूर्णतया सन्तुष्ट हो लें कि उसके लिए श्रुतलेखक की नियुक्ति नियम के अन्तर्गत है, तभी वे इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करें।

स्मरण रहे कि श्रुतलेखक की नियुक्ति नियमानुसार ही हो सकती है।

सामान्य नियम

(क) 2017 में होने वाली हाईस्कूल / इण्टर परीक्षा का कार्यक्रम निश्चित अवधि पर प्रकाशित होगा। कार्यक्रम की प्रतिलिपियाँ मुद्रित नामांकन के साथ आपको भेजी जायेंगी। टंकण की परीक्षायें परीक्षा केन्द्र में होंगी न कि आपके विद्यालय में।

(ख) आवेदन—पत्र तथा अन्य विवरण—पत्र ठीक—ठाक व्यवस्थित रूप से तथा सतर्कता से सिला हुआ (स्टच) इस कार्यालय में पूरित होकर निश्चित तिथि के अन्दर भेजना चाहिए अन्यथा यह समझ लिया जायेगा कि आपके विद्यालय से 2017 की परीक्षा में कोई परीक्षार्थी सम्मिलित नहीं होगा। आवेदन—पत्रों के साथ स्मारिका, कोष पत्र, तथा संख्या सूचक—चक्र आदि सभी प्रपत्र एक साथ भेजने चाहिए, अलग—अलग नहीं।

(ग) उन छात्रों के आवेदन—पत्र, जिनके वर्ष 2016 अथवा उससे पूर्व किसी वर्ष की परीक्षा के परीक्षाफल रुके हैं, अस्थाई रूप से प्रेषित किये जा सकते हैं किन्तु उनका उल्लेख स्मारिका से सम्बन्धित स्तम्भ में अवश्य कर दिया जाय तथा प्राप्त आवेदन—पत्र पर प्रधानाचार्य स्वयं लाल रोशनाई से उपरोक्त तथ्य का उल्लेख कर दें।

नोट :— प्रधानाचार्य छात्रों के कक्षा—9 तथा कक्षा—11 में प्रवेश लेते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक देख लें कि छात्रों का प्रवेश अनियमित तो नहीं चल रहा है। अनियमित प्रवेश कराये गये छात्रों के आवेदन—पत्रों को अग्रसारित कर देने से शासन एवं परिषद् के समक्ष विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सब त्रुटियों का कारण प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों के प्रवेश के समय पूर्ण जाँच न करना अथवा अभिलेखों का परीक्षण करने में शाफिलता बरतना ही है। वे प्रधानाचार्य जो अनियमित छात्रों का कक्षा—9 तथा कक्षा—11 में प्रवेश करने एवं उनके आवेदन—पत्र परिषद् की परीक्षाओं के लिए अग्रसारित करने के दोषी पाये जायेंगे, उन्हें 03 वर्षों के लिए परिषद् के समस्त पारिश्रमिक कार्यों से वंचित कर दिया जायेगा तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की भी संस्तुति की जायेगी। अतः प्रधानाचार्य द्वारा इस ओर विशेष सावधानी बरतनी चाहनीय है।

- (घ) 1. हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो विनियमों के अन्तर्गत किसी अन्य विषय/विषयों से पुनः हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है वह अन्य विषय/विषयों से परीक्षा आवेदन—पत्र तभी अग्रसारित करा सकेगा जब उसके द्वारा उस विषय/विषयों में कक्षा 9 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। ऐसा परीक्षार्थी यदि सफल हो जाय तो वह अतिरिक्त लिये उत्तीर्ण विषय अथवा विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण—पत्र पाने का अधिकारी होगा और उसे कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक वर्ग तक ही सीमित हो।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो विनियमों के अन्तर्गत किसी अन्य विषय/विषयों/विषय वर्ग से पुनः इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है वह अन्य विषय/विषयों/विषय वर्ग से परीक्षा आवेदन—पत्र तभी अग्रसारित करा सकेगा जब उसके द्वारा उस विषय/विषयों/विषय वर्ग में कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। ऐसा परीक्षार्थी यदि सफल हो जाय तो वह अतिरिक्त लिये उत्तीर्ण विषय अथवा विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण—पत्र पाने का अधिकारी होगा और उसे कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक वर्ग तक ही सीमित हो।
3. इस विनियम के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी उन विषय अथवा विषयों का चयन नहीं कर सकेंगे, जो उनके द्वारा पूर्व की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में, जिसमें वह उत्तीर्ण हुए थे, लिये गये थे। साथ ही परीक्षार्थी आधुनिक भारतीय, विदेशी तथा शास्त्रीय भाषा समूहों के प्रत्येक समूह में से केवल एक ही भाषा का चयन कर सकेंगे। वही भाषा उपहृत की जायेगी जिनका विद्यालय में पूर्व से ही अध्यापन हो रहा है।
4. परीक्षार्थी इस विनियम के अन्तर्गत एक बार में केवल एक ही परीक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) में प्रविष्ट हो सकेंगे।
5. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी इस विनियम के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

परिषद् कार्यालय को भेजे जाने वाले संलग्न-प्रपत्र

क्र० सं०

हाईस्कूल

इण्टरमीडिएट

(1) (क) व्यक्तिगत O.M.R व I.C.R. आवेदन—पत्र तथा कोष—पत्र (मूल रूप में)

(क) व्यक्तिगत O.M.R व I.C.R. आवेदन—पत्र तथा कोष—पत्र (मूल रूप में)

(ख) संरक्षण गत O.M.R. सीट, I.C.R. आवेदन—पत्र की 01 प्रति तथा कोष—पत्र (मूल रूप में) (ख) संरक्षण गत OMR सीट, I.C.R. आवेदन—पत्र की 01 प्रति तथा कोष—पत्र (मूल रूप में)

(2)	स्मारिका	स्मारिका
(3)	संख्या सूचक—चक्र	संख्या सूचक—चक्र

हाईस्कूल परीक्षा, 2017 के संस्थागत/व्यक्तिगत पाठ्यक्रम के परीक्षार्थीयों हेतु विषय सम्बन्धी निर्देश-

(प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा 9 एवं 10)

हाईस्कूल सी०बी०ए०इ० पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी की नीचे दिए गये 05 अनिवार्य विषयों में परीक्षा ली जायेगी :—

- (1) हिन्दी (विषय कोड-001),
- (2) एक आधुनिक भारतीय भाषा [गुजराती, उर्दू (004), पंजाबी (005), बंगाली (006), मराठी, असमी, उडिया, कन्नड, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, लिम्बो, लेच्चा, भोटिया, मीजो] परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

अथवा

एक विदेशी भाषा [अंग्रेजी (021), जर्मन, रूसी, तिब्बती, नेपाली (025), पुर्तगाली, स्पेनिश] परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा [संस्कृत (028), अरबी, फारसी} परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

(3) गणित (031) अथवा गण्ड विज्ञान (032) [गण्ड विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए],

(4) विज्ञान (033)

(5) सामाजिक विज्ञान (034)

(6) कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास (047)

(7) कला शिक्षा (048)

(8) योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा (049)

(9) अतिरिक्त विषय—

(क) एक आधुनिक भारतीय भाषा : गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमी, उडिया, कन्नड, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, लिम्बो, लेच्चा, भोटिया, मीजो (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या-2 पर नहीं लिया गया है), परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा : अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, तिब्बती, नेपाली, पुर्तगाली, स्पेनिश, (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या-2 पर नहीं लिया गया है), परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा : संस्कृत, अरबी, फारसी, (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या-2 पर नहीं लिया गया है), परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

अथवा

(ख) संगीत—

- (1) हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) – 035
- (2) हिन्दुस्तानी संगीत (मेलोडिक वादन) – 036
- (3) हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन वादन) – 037
- (4) कर्नाटक संगीत (गायन) – 038
- (5) कर्नाटक संगीत (मेलोडिक वादन) – 039
- (6) कर्नाटक संगीत (पर्कसन वादन) – 040

(ग) रंजन कला (041)

(घ) वाणिज्य—

- (1) व्यापारिक तत्त्व (042)

- (2) बहीखाता एवं लेखाशास्त्र (043)
- (3) टंकण (044)
- (इ) गृह विज्ञान (045) [ग्रालिकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या-3 पर नहीं लिया है]।
- (च) सूखना प्रौद्योगिकी (046)
- (छ) कृषि (050)
- (ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय)–
- (1) आईटीईएस (052)
 - (2) ऑटोमोबाइल (053)
 - (3) रिटेल (054)
 - (4) पेशेट कंयर (055)
 - (5) सिक्युरिटी (056)
 - (6) टूरिज्म (057),

टिप्पणी : नेत्रहीन परीक्षार्थियों हेतु प्रश्न—पत्र तीन घण्टे के स्थान पर चार घण्टे का होगा।

- (1) उपर्युक्त पाठ्यचर्चाएँ के अनुसार कक्षा 9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम पृथक—पृथक निर्धारित है। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के आधार पर निर्देशानुसार परीक्षा ली जायेगी तथा विद्यालय स्तर पर ही आन्तरिक मूल्यांकन होगा। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के आधार पर हाईस्कूल की सार्वजनिक परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित होगी।
- (2) कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में विद्यालय स्तर पर गणित एवं सामाजिक विज्ञान में 20 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन होगा। विज्ञान तथा गृह विज्ञान एवं अतिरिक्त विषयों यथा सूखना प्रौद्योगिकी, संगीत, कृषि में प्रयोगात्मक कार्य भी विद्यालय स्तर पर सम्पन्न होगा। आन्तरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक कार्य विद्यालय स्तर पर सम्पन्न होने के उपरान्त अंक परिषद् कार्यालय रामनगर (नैनीताल) को यथा निर्देशानुसार प्रेषित किये जायेंगे।
- (3) कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास; कला शिक्षा; तथा योग, आयुर्वेद एवं रथास्थ्य शिक्षा में विद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। इनमें A, B, C, D, तथा E ग्रेड दिया जाना है। E ग्रेड प्राप्त अभ्यर्थियों का परीक्षाफल शोका जायेगा। अतः E ग्रेड की सूखना परिषद् कार्यालय को दी जायेगी।
- (4) समस्त अध्यापकों को, जो हाईस्कूल परीक्षा के लिए अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त हों, डायरियां तैयार करनी होंगी, जिनमें उनके द्वारा पढ़ाये गये प्रत्येक विषय में हुआ कार्य विखाया जायेगा। इन डायरियों का मौखिक अथवा क्रियात्मक परीक्षकों अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये हों, निरीक्षण किया जायेगा।
- (5) उप-सात्रिक परीक्षाओं के लिए बनाये गये प्रश्न—पत्रों तथा समस्त परीक्षार्थियों की लिखित उत्तर पुस्तकों का भी परीक्षण इस ढंग से तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि परिषद् निर्देश दे।
- (6) समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। हाईस्कूल परीक्षा के समस्त परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देंगे, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परिषद् के सभापति तथा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें, स्वमति से उन परीक्षार्थियों को, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, अंग्रेजी अथवा उर्दू में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दे सकते हैं। भाषाओं को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न—पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में बनाये जायेंगे।

टिप्पणी :-

- (1) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित भाषा में तथा तत्सम्बन्धी लिपि में देंगे, जिससे प्रश्न पत्र का सम्बन्ध है, जब तक कि प्रश्न—पत्र में ही उसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।
- (2) परिषद् के सभापति ने विनियम-9, अध्याय-13 के अनुसरण में संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द्र अधीक्षकों को निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में अंग्रेजी में प्रश्न—पत्रों का उत्तर देने की अनुमति देने का अधिकार दे दिया है :–
- [क] परीक्षार्थी, जिनकी मातृभाषा हिन्दी न होकर एक अन्य भाषा है।
 - [ख] परीक्षार्थी, जिन्होंने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषय (गणित सहित) लिए हैं।
 - [ग] आंगं भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थी।

इण्टरमीडिएट परीक्षा, 2017 के संस्थागत/व्यक्तिगत पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों हेतु विषय सम्बन्धी निर्देश-
(प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा 11 एवं 12)

नोट:-कृषि वर्ग को छोड़कर शेष अन्य वर्गों में विषय संयोजन 1+3+1 के अनुरूप होगा, प्रथम विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का विकल्प होगा। शेष तीन विषय उसी वर्ग के लिये जायेंगे जिस वर्ग का चयन अभ्यर्थी करेगा। पाँचवें विषय का चयन अभ्यर्थी में से कोई एक विषय अथवा अपने वर्ग से कोई एक विषय में से करेगा। कृषि वर्ग के परीक्षार्थी केवल कृषि वर्ग के ही विषयों का चयन करेंगे। वर्गवार विषय तथा उनके कोड निम्नवत् हैं:-

इण्टरमीडिएट परीक्षा के विषय एवं विषयों के कोड

प्रथम अनिवार्य विषय		हिन्दुस्तानी संगीत गायन		आईटीईएस		कृषि वर्ग भाग-1	
विषय कोड	विषय	114	हिन्दुस्तानी संगीत गायन	145	आईटीईएस	134	कृषि शस्य विज्ञान
101 / 103	हिन्दी / अंग्रेजी	115	हिन्दुस्तानी संगीत (मैलोडिक गायन)	146	ऑटोमोबाइल	135	कृषि बनस्पति विज्ञान
102	हिन्दी (केवल कृषि वर्ग के लिये)	116	हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन गायन)	147	रिटेल	136	कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान
		117	कर्नटिक संगीत गायन	148	पेशेट केयर	137	कृषि अधियंत्रण
		118	कर्नटिक संगीत (मैलोडिक गायन)	149	सिवयूरिटी	138	कृषि गणित एवं प्रारम्भिक साहियकी
		119	कर्नटिक संगीत (पर्कसन गायन)	150	टूरिज्म		
विषय कोड	विषय	विज्ञान वर्ग		कृषि वर्ग भाग-2			
103	अंग्रेजी	120	इंडिग एवं पेटिंग	128	गणित	139	कृषि शस्य विज्ञान
		121	राजनीति विज्ञान	129	भौतिक विज्ञान	140	कृषि अर्थशास्त्र
105	संस्कृत	122	मनोविज्ञान	130	रसायन विज्ञान	141	कृषि जन्तु विज्ञान
106	उर्दू	123	समाजशास्त्र	131	जीव विज्ञान	142	कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
107	पंजाबी	124	शिक्षाशास्त्र	144	कम्प्यूटर	143	कृषि रसायन विज्ञान
108	बंगाली	125	तर्कशास्त्र				
109	नेपाली	126	संस्कृत विज्ञान	112	अर्थशास्त्र		
		127	भूगर्भ विज्ञान	128	गणित		
		128	गणित	132	एकाउण्टेन्सी		
		144	कम्प्यूटर	133	विजनेस रिडीज		
				144	कम्प्यूटर		

- नोट:-1** (अ) भूगोल तथा भूगर्भ विज्ञान मेंसे अभ्यर्थी केवल एक विषय का चयन कर सकेंगे।
 (ब) मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र तथा तर्कशास्त्र में से अभ्यर्थी केवल एक विषय का चयन कर सकेंगे।
 (स) संगीत के विषय कोड 114 से 119 तक में से अभ्यर्थी केवल एक विषय का चयन कर सकेंगे।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में दो से अधिक भाषाएँ उपहृत नहीं की जा सकती हैं। वही भाषाएँ उपहृत की जायेंगी जिनका विद्यालय में पूर्व से ही अध्यापन हो रहा है।
3. वाणिज्य वर्ग वाले अभ्यर्थियों को विषय कोड संख्या 132 तथा 133 उपहृत करना अनिवार्य है।
4. कृषि वर्ग में हिन्दी (कोड-102) भाषा लेना अनिवार्य होगा। भाषा विषय की परीक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर भाग-2 की परीक्षा के साथ ली जायेगी।

2017

आवश्यक निर्देश (व्यक्तिगत परीक्षार्थी)

सन 2017 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के O.M.R. व I.C.R. आवेदन-पत्र अग्रसारित करने वाले प्रेषक अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश :—

विशेष निर्देश :-अग्रसारण अधिकारी अपूर्ण एवं अशुद्ध आवेदन-पत्रों को किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं करेंगे। कोई भी परीक्षार्थी किसी भी दशा में दो विद्यालयों से अपना संस्थागत अथवा व्यक्तिगत आवेदन-पत्र अग्रसारित नहीं करायेगा, अपितु प्रत्येक दशा में किसी भी परीक्षा हेतु केवल एक आवेदन-पत्र भर कर जमा करेगा। दो आवेदन-पत्र जमा करने पर दोनों आवेदन-पत्र अध्याय 12, विनियम 8 (2) के अन्तर्गत निररत कर दिए जायेंगे।

टिप्पणी :-व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों के सम्पूर्ण निरीक्षण तथा ठीक प्रकार से भरे जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रसारण अधिकारी पर ही होगा। असावधानीपूर्ण एवं अनियमित कार्य करने पर अग्रसारण अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आवेदन-पत्रों पर आप द्वारा दिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा। आवेदन पत्र के पृष्ठ संख्या-02 पर अंकित प्रमाण-पत्र में अग्रसारण अधिकारी अपना निर्णय अवश्य अंकित करें।

(क) उत्तराखण्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 9 अथवा 11 उत्तीर्ण संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी अथवा उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य राज्यों के समकक्ष मान्य शिक्षा बोर्ड / शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही उन विषयों से, जिनसे उसने यथा स्थिति कक्षा 9 अथवा कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, परिषद् की हाईकूल अथवा इंटर की परीक्षा में समिलित होने हेतु अर्ह होगा। पूर्व वर्षों में हाईकूल / इंटरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अभ्यर्थी, उन्हीं विषयों से पुनः परीक्षा में समिलित हो सकेंगे, जिनसे वे पूर्व परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं। विषय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(ख) कक्षा 9 तथा 11 की क्रमांक-क में अंकित परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा अन्य राज्यों के मान्य शिक्षा बोर्ड / शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को उस मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा मण्डलीय शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अंकपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जहाँ से अभ्यर्थी द्वारा कक्षा-9 अथवा कक्षा-11 की परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है।

(ग) आवेदन-पत्र स्वीकार करने के पश्चात् आवेदन-पत्र प्राप्ति की रसीद परीक्षार्थी को अवश्य दे दें। अपूर्ण, असंगत अथवा अहता सम्बन्धी प्रपत्रों के अभाव में आवेदन-पत्र अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में परीक्षार्थी को प्राप्त करा दें तथा आवेदन-पत्र अपनी आख्या सहित पृथक् बण्डल में परिषद् कार्यालय भेजें।

परीक्षा काल में परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर किये जाने वाला उपस्थित पत्रक परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा प्रभारी व केन्द्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होने के बाद, परिषद् कार्यालय को सील्ड लिफाफे में भेजा जायेगा।

(ङ) परीक्षा आरम्भ के पूर्व प्रत्येक प्रेषक अधिकारी के पास सम्बन्धित परीक्षार्थियों की मुद्रित नामावली भेजी जायेगी, जिसके साथ ही प्रवेश पत्रों का वितरण करने, परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र रद्द करने के सम्बन्ध में अलग से निर्देश भेजे जायेंगे। मुद्रित नामावली में अंकित अनुक्रमांक से परीक्षार्थी परीक्षा में समिलित होगा।

(ज) अपूर्ण एवं असंगत आवेदन-पत्र कदापि स्वीकार करने न करें तथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में दे दें। किन्तु आवेदन-पत्र किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस न करें।

(छ) आप अपने केन्द्र पर अपने विद्यालय के किसी कर्मचारी या अध्यापक का नाम पंजीकृत न कीजिए। यदि आपके विद्यालय के किसी कर्मचारी या अध्यापक का अथवा किसी कर्मचारी के पाल्यों का लिखित परीक्षा केन्द्र आपके ही विद्यालय में है तो इसकी पूर्व सूचना अपने जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से परिषद् कार्यालय को तुरन्त दे दें।

(ज) परीक्षार्थियों को आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थानों पर पासपोर्ट साइज का चित्र लगाना अनिवार्य है।

(झ) परीक्षार्थियों का चित्र व हस्ताक्षर तथा प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपियां अग्रसारण केन्द्र के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। प्रथम सहायक द्वारा प्रमाणित चित्र व हस्ताक्षर मान्य न होंगे। किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्नक व चित्र भी मान्य नहीं किये जायेंगे।

आवेदन-पत्र के साथ जितने भी प्रमाण-पत्र संलग्न किये गये हों, उन पर परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। फोटो स्टेट प्रति अग्रसारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। छात्र स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी का मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टी० सी० संलग्न करना अनिवार्य है। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अंकपत्र की फोटो प्रति अग्रसारण अधिकारी से सत्यापित कराके संलग्न करेंगे।

(ञ) अभ्यर्थी के प्रयोगात्मक विषयों की परीक्षाएं प्रथम फरवरी से आयोजित होनी हैं। परीक्षार्थी को प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु कोई सूचना परिषद् कार्यालय से नहीं दी जायेगी। अग्रसारण अधिकारी अभ्यर्थी को प्रथम फरवरी से विद्यालय के सम्पर्क में रहने का निर्देश दे दें ताकि प्रयोगात्मक परीक्षा में अभ्यर्थी उपस्थित रह सके।

(ঠ) কোষ-পত্র মেং বেংক কী মুহর সে দিনাংক পঢ়নে মেং নহীঁ আতা হৈ। অত: দিনাংক কা বিশেষ ধ্যান রখা জানা হৈ। দিনাংক স্পষ্ট ন হোনে কী স্থিতি মেং চালান মেং দিনাংক ঠীক কৰাকৰ হী উসে স্বীকার কৰে।

(ড) অগ্রসারণ অধিকারী দ্বারা পরীক্ষার্থী কে ফার্ম কী সংখ্যা পরীক্ষার্থী কে I.C.R ব O.M.R.আবেদন-পত্র কে প্রত্যেক পৃষ্ঠ পর অংকিত কৰনা অনিবার্য হৈ।

(द) अग्रसारण अधिकारी परीक्षा आवेदन—पत्र एवं अन्य प्रपत्र पृष्ठ 02 पर बनाई गयी सारणी के अनुसार निर्धारित तिथि तक खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आवेदन—पत्र, 04 सितम्बर, को परिषद् कार्यालय को भेजे जायेंगे। अतः यह ध्यान रहे कि परिषद् द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् आप अपने पास कोई भी आवेदन—पत्र तथा अन्य प्रपत्र न रोकिए। यदि वे उस तिथि तक पूर्ण न हो पायें तो भी उसी रूप में परिषद् कार्यालय को पूर्ण न करने के कारण सहित प्रेषित कर दें अन्यथा आवेदन—पत्रों को परिषद् के कार्यालय में विलम्ब से भेजने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। आवेदन—पत्र जमा करने की तिथि समाप्त हो जाने के बाद कतिपय प्रधानाचार्यों ने आवेदन—पत्र अग्रसारित कर दिये थे। इससे वैधानिक कठिनाई आती है। निर्धारित तिथि के बाद अग्रसारण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रसारण अधिकारी का होगा। ऐसे आवेदन—पत्र निरस्त करने की सूचना आवेदक को दें तथा आवेदन—पत्र निरस्तीकरण कारण सहित अलग बण्डल में भेजें।

(ग) निर्धारित तिथि तक आपने जितने भी आवेदन—पत्र अग्रसारित करने हेतु प्राप्त किए हैं उनकी (बालक एवं बालिका) सूचना 01 सितम्बर को ही आप अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवश्य दे दें।

(त) कभी—कभी यह देखा गया है कि प्रेषक अधिकारी अपने केन्द्र पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन—पत्र निर्धारित संख्या से अधिक पंजीकृत कर लेते हैं जो कि अनियमितता है। अतएव मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आपके केन्द्र पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की जितनी संख्या निर्धारित की है, आप उससे अधिक एक भी आवेदन—पत्र स्वीकार न करें।

(थ) जिन परीक्षार्थियों का शुल्क वर्ष 2017 की परीक्षा के लिए सुरक्षित है, उनके आवेदन—पत्र के साथ शुल्क सुरक्षा का आज्ञा—पत्र, शेष व अतिरिक्त धन तथा ₹ 05=00 अंकपत्र शुल्क एवं ₹ 10=00 अग्रसारण शुल्क नहीं होना चाहिए।

(द) उत्तराखण्ड की सीमा से बाहर रहने वाले परीक्षार्थियों को परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जा सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि वे अब भी उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हों, किन्तु कतिपय अपरिहार्य कारणों से अन्य राज्यों में अस्थाई रूप से प्रवर्जित हो गये हों। ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन—पत्र सम्बन्धित राज्यों के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अग्रसारित होने चाहिए, जिन्हें परीक्षार्थी के उत्तराखण्ड में पारम्परिक निवास को प्रमाणित करना चाहिए।

ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क, अंकपत्र शुल्क तथा अग्रसारण शुल्क मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम से क्रॉस्ट फोस्टल ऑर्डर द्वारा भेजेंगे। अतएव आप उसे डाकखाने से भुनाकर निर्धारित तिथि के अन्दर परिषद् के खाते में जमा कर दें। यदि अनक्रॉस्ट फोस्टल ऑर्डर सचिव, उत्तराखण्ड, विद्यालयी शिक्षा परिषद् के नाम जमा किया गया है तो उसे परीक्षार्थी को वापस कर दें तथा अपने नाम का फोस्टल ऑर्डर बनवाइये। विधिवत् पूरित आवेदन—पत्र किसी भी दशा में परीक्षार्थी को न लौटायें। उन्हें स्वीकार करना ही होगा।

प्रेषक अधिकारियों से अनुरोध है कि परीक्षार्थियों के आवेदन—पत्रों की जाँच तथा उनकी अर्हता पर विचार इस प्रपत्र में वर्णित निर्देशों एवं विवरण पत्रिका के आधार पर अवश्य कर लें क्योंकि राजाज्ञानुसार व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन—पत्रों से सम्बन्धित सभी प्रकार की कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व आप पर ही होगा।

प्रेषक अधिकारियों के लिए अंकपत्र शुल्क एवं निबन्धन शुल्क

अंकपत्र शुल्क प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए ₹ 10=00 अनिवार्य एवं समान है। प्रत्येक परीक्षार्थी से, चाहे वह सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो अथवा किसी विनियम के अन्तर्गत, आप ₹ 05=00 नकद रूप में अवश्य प्राप्त कर लें जिसका प्रयोग अंकपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक व्यय तथा लेखन सामग्री आदि की मद्दों में व्यय हेतु किया जाय। शेष ₹ 05=00 कोष—पत्र द्वारा परीक्षा शुल्क के साथ जमा किया जाय।

विनियम—8, अध्याय—12 में विहित विधि से प्राप्त आवेदन—पत्र में विहित अर्हताओं तथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र आदि की जाँच तथा समय से प्रेषण के लिए प्रेषक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इस हेतु आप प्रत्येक परीक्षार्थी से केवल ' 10=00 अग्रसारण शुल्क के रूप में परीक्षा शुल्क के साथ राजकोष में अवश्य जमा करायें, जो अग्रसारण अधिकारियों का पारिश्रमिक तथा उपर्युक्त कार्य में सहायक कर्मचारी को प्रत्येक परीक्षार्थी की दर से निर्धारित पारिश्रमिक के रूप में देय होगा। इस धनराशि को आप नकद के रूप में नहीं लेंगे, इसके भुगतान हेतु पारिश्रमिक पायना—पत्र बाद में बनाकर परिषद् कार्यालय को भेजेंगे। किसी भी दशा में अतिरिक्त पोस्टल व्यय भी लेने की अनुमति नहीं है। किसी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी से दान (डोनेशन), चन्दा अथवा विलिंग फण्ड इत्यादि न लें। अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर अग्रसारण अधिकारी के उपर्युक्त पारिश्रमिक में कटौती की जायेगी अथवा उसके विरुद्ध अन्य दण्डात्मक कार्यवाही परिषद् द्वारा की जायेगी। कोष—पत्र में परीक्षा शुल्क, अंकपत्र शुल्क तथा अग्रसारण शुल्क का अलग—अलग उल्लेख होना आवश्यक है।

ऐसे परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जिनके परीक्षाफल रोके गये हैं

वे परीक्षार्थी जिनके इस परिषद् की सन् 2016 या उसके पूर्व की परीक्षा के परीक्षाफल अभी तक रुके हुए हैं, तथा वे सन् 2017 की उसी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप उनके भी आवेदन—पत्र अस्थायी रूप से अवश्य स्वीकार कर लें। आप ऐसे प्रत्येक परीक्षार्थी के आवेदन—पत्र के ऊपर लाल रोशनाई से परीक्षाफल रोका गया (रिजल्ट विदेहल्ड)। शब्द लिखना न भूलें तथा इसका उल्लेख स्मारिका में अवश्य कर दें। साथ ही ऐसे परीक्षार्थियों का उस वर्ष की परीक्षा का अनुक्रमांक एवं वर्ष का उल्लेख परीक्षार्थी के आवेदन—पत्र पर यथास्थान अवश्य करें।

(15)
विषयों का चयन

परीक्षार्थी को इण्टरमीडिएट तथा हाईस्कूल में पाँच अनिवार्य विषयों का चयन करना है। भली-भाँति देख लिया जाय कि परीक्षार्थी ने इन विषयों का चयन राजाज्ञानुसार किया है अथवा नहीं।

O.M.R. व I.C.R आवेदन-पत्रों की जाँच

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों O.M.R. व I.C.R. की जाँच अत्यन्त सतर्कता के साथ करनी चाहिए क्योंकि उनके आवेदन-पत्रों पर आप द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम रूप से माना जायेगा और प्रत्येक प्रकार की अनियमितता के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। सर्वप्रथम आप यह भली-भाँति जाँच कर लें कि वास्तव में परीक्षार्थी सन् 2017 की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी है अथवा नहीं। आवेदन-पत्रों की जाँच करते समय निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है :-

- (क) परीक्षार्थी ने आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरी हैं।
- (ख) परीक्षार्थी ने जिस स्थान पर काट-छाँट की हो अथवा कोई संशोधन या परिवर्तन किया हो, वहां पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- (ग) इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ने अपने आवेदन-पत्र में जो भी सूचनाएं भरी हैं तथा प्रमाण-पत्र संलग्न किये हैं, वे यथार्थ एवं उचित हैं अथवा नहीं।
- (घ) कक्षा 9 तथा 11 व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी पूर्व कक्षा, जहाँ तक अभ्यर्थी ने संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में अध्ययन किया है, का प्रतिहस्ताक्षरित टी०सी० प्रस्तुत करेंगे।

आवश्यक प्रमाण-पत्रों की केवल प्रमाणित प्रतिलिपियां ही संलग्न हों किन्तु प्रत्येक प्रमाण-पत्र की मूल प्रतियां आप स्वयं देख दें। परीक्षार्थियों की यथार्थ प्रतिलिपियों पर आप अपने हस्ताक्षर करके उन्हें प्रमाणित कर उन पर अपने विद्यालय की मुहर अवश्य लगा दें। टी०सी० मूल रूप में संलग्न होगा। इसकी छायाप्रति मान्य नहीं है।

गतवर्षों में यह देखा गया है कि कठिपय अग्रसारण अधिकारियों ने यथार्थ प्रतिलिपियों पर केवल अपने हस्ताक्षर ही किये हैं अथवा उनमें केवल विद्यालय की मुहर ही लगी है। इससे अनेक कठिनाईयाँ उत्पन्न हुई थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियों को प्रमाणित करने का अधिकार केवल अग्रसारण अधिकारियों को ही है, उनके विद्यालय के कर्मचारी अथवा अन्य सहायक अध्यापकों को कदापि नहीं।

इण्टर प्रयोगात्मक विषयों में सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि वर्ग के प्रयोगात्मक विषय में व्यक्तिगत आवेदन-पत्र केवल जनपद इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देंगे। जनपद में अन्य विद्यालय उक्त विषयों के आवेदन-पत्र अग्रसारित न करें। उक्त प्रयोगात्मक विषय में संस्थागत रूप से यदि अभ्यर्थी पंजीकृत है, उस स्थिति में ही उक्त विषयों के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र अग्रसारित होंगे।

इण्टर प्रयोगात्मक विषयों के आवेदन-पत्र वही विद्यालय अग्रसारित करें, जिन्हें सम्बन्धित प्रयोगात्मक विषय की मान्यता प्राप्त हो। विषय की मान्यता न होने की स्थिति में प्रयोगात्मक विषय में आवेदन अग्रसारित कदापि न करें।

टिप्पणी :-जिन परीक्षार्थियों ने इस परिषद् अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है किन्तु वे अभी तक अपने प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर सके हैं, अथवा उहोंने उनकी द्वितीय प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना की हो या उनके प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में संशोधन के लिए आये हों तो ऐसी दशा में उन परीक्षार्थियों द्वारा सरकारी गजट की प्रतिलिपियां, अंकपत्र अथवा अस्थायी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनके आवेदन-पत्र अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिए जायें और उन्हें निर्देश दिया जाय कि प्रमाण-पत्र प्राप्त करके उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्पूर्ण विवरण देते हुए, इस कार्यालय को अक्टूबर माह तक अवश्य प्रस्तुत कर दें अन्यथा उनका आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

आवेदन-पत्रों को क्रमबद्ध करना

आवेदन-पत्रों को परिषद की विवरण पत्रिका के अध्याय-13 (हाईस्कूल) तथा 14 (इण्टरमीडिएट) में दिए हुए भिन्न-भिन्न वर्गों के अनुसार अलग-अलग छाँट लीजिए। प्रत्येक वर्ग के आवेदन-पत्रों को अंग्रेजी वर्षमाला के अनुसार लगा दीजिए। वर्गवार क्रम में महिला परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र पुरुष परीक्षार्थियों के बाद रखे जायें।

हाईस्कूल के आवेदन-पत्र निम्नलिखित ढंग से रखने चाहिए:-

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए आवेदन-पत्र (1) सम्पूर्ण परीक्षा (2) विनियमों के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र। इण्टरमीडिएट परीक्षा के आवेदन-पत्र निम्नलिखित ढंग से क्रमबद्ध करने चाहिए:-

- (क) मानविकी वर्ग (ख) विज्ञान वर्ग (ग) वाणिज्य वर्ग (घ) कृषि वर्ग भाग-1 (ङ) कृषि वर्ग भाग-2 (च) विनियमों के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र।

टिप्पणी :—आवेदन—पत्र के साथ सभी संलग्नकों को चस्पा कर अथवा नत्थी कर निम्न क्रमानुसार भेजना चाहिए:—

(1) कोष—पत्र मूल रूप में (2) हाईस्कूल प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि / हाईस्कूल अंकपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, (3) मूल रूप में स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र (4) कक्षा 9 अथवा कक्षा 11 उत्तीर्ण अंकपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (5) अन्य प्रपत्र आदि।

संख्या सूचक—चक्र

संख्या सूचक—चक्र की जाँच बड़ी सावधानी एवं स्वच्छता के साथ करनी चाहिए। इसके त्रुटिपूर्ण होने के कारण परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन में बाधा पड़ सकती है, क्योंकि विभिन्न विषयों के प्रश्न—पत्र तथा उत्तर पुस्तिकाएं केन्द्र पर इन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर ही भेजे जाते हैं। यह ध्यान रहे कि आप द्वारा तैयार किया हुआ संख्या सूचक—चक्र ही प्रश्न—पत्र भेजने का आधार होता है। यदि संख्या सूचक—चक्र में किसी प्रकार की अशुद्धि अथवा त्रुटि पाई गई और इसके कारण किसी विषय का प्रश्न—पत्र किसी केन्द्र पर न पहुँच सका तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संख्या सूचक—चक्र भेजने वाले अधिकारी पर होगा। इसके खानों की पूर्ति अंग्रेजी अंकों में होनी चाहिए। भिन्न—भिन्न वर्गों के परीक्षार्थियों का विवरण संख्या सूचक—चक्र में वर्णित सम्बन्धित केन्द्र वर्ग के सामने ही लिखना चाहिए। संख्या सूचक—चक्र बनाने के पश्चात् उसकी जाँच विभिन्न अध्यापकों द्वारा कम से कम दो बार अवश्य करा लेनी चाहिए कि उसमें सम्बन्धित खाने की पूर्ति सही की गई है।

संख्या सूचक—चक्र बालक एवं बालिकाओं की संख्या पृथक—पृथक अंकित करते हुए दो प्रतियों में कार्बन के साथ बनाया जाय। ध्यान रहे दूसरी प्रति कार्बन प्रति हो।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा शुल्क, अंकपत्र शुल्क, अग्रसारण शुल्क व विलम्ब शुल्क तथा प्रवर्जन प्रमाण—पत्र शुल्क चालान द्वारा परिषद् के संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा तथा उनके चालानों का विवरण स्मारिका में अवश्य अंकित करें।

डॉ० रघुनेत्र दत्त शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

जनपदवार विकासखण्डों (ब्लॉकों) के नाम तथा कोड